

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1470
दिनांक 24.12.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

मोबाइल विलवणीकरण संयंत्रों के संबंध में भारत-इज़रायल सहमति ज्ञापन

1470. श्री विनय दीनू तेंदुलकर:

क्या पेयजल और स्वच्छता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या इज़रायल के साथ संयुक्त रूप से गैल (जी.ए.एल.)—मोबाइल विलवणीकरण संयंत्र विकसित करने के लिए किसी सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की संयंत्र आयात करने की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) इस प्रौद्योगिकी/संयंत्र से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में देश को किस प्रकार से मदद मिलने की संभावना है?

उत्तर
राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी)

- (क) जी, नहीं। विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, एक मोबाइल विलवणीकरण संयंत्र जल मोबाइल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए इसाइल सरकार के साथ भारत सरकार द्वारा किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- (ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।
